The Expert Committee could not come to any conclusion about the precise cause of the accident.

(b) While, on the one hand, a special drive was launched to strengthen track at the approaches of bridges and provision of emergency exits in coaches has been planned. Research, Designs and Standards Organisation is looking into the larger question of vehicle dynamics and rail-wheel interaction.

(c) Compensation aggregating to over "Rs. one crore has been paid for loss of life, injury and loss of property.

No case is pending settlement at present.

Lasses of foodgrains daring transit

@*197. SHRI RAM JETHMALANI:
SARDAR JAGJIT SINGH AURORA:

Will the Minister of FOOD be pleased to state;

(a) whether Government's attention lias been drawn to the newsitem which appeared in the daily Tribune dated the 3rd April, 1991 under the caption "Huge transit losses of foodgrains"';

(b) if so, whether any enquiry has been made into the allegation regarding huge losses during transit of foodgrains;

(c) if so. what are the details thereof; and

(d) if reply to part (b) above be in the negative what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD (INDEPENDENT CHARGE) (SHRI TARUN GOGOI): (a) Yes, Sir.

(b) to (d) Food Corporation of India is seized of the problem. Transit losses have come down from 1.93 per cent of the quantity moved in 1987-88 to 1.28 per cent in 1989-90.

©Previously Starred Question No. **97,** transferred from **18-7-91.**

जल संसाधनों के संबंध में राष्ट्रीय सम्मेलन

*198. श्री शंकर दयाल सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 17 से 19 जनवरी, 1991 के बीच नई दिल्ली में जल-संसाधनों के संबंध में कोई राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्मेलन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, उसमें किन-किन विषयों पर चर्चा की गयी और सम्मेलन द्वारा इस संबंध में क्या-क्या सिफारिशें की गई ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, राष्ट्रीय जल सम्मेलन 17 से 19 जनवरी, 1991 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया।

(ख) (1) भाग लेने वालों की संख्या—220

(2) मुख्य मुद्दे जिन पर विचार-विमर्श किया गया, वे हैं :—

वर्ण्य विषय 1—लोगों की सहभागिता

वर्ण्य विषय 2—भविष्य के लिए जल

वर्ण्य विषय 3—अन्तर बेसिन अन्तरण राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

(3) की गई सिफारिशों के बारे में बताते हुए एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

17 से 19 जनवरी, 1991 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय जल सम्मेलन की सिफारिशें

(क) जल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना और कार्यान्वयन में समाज की सहभागिता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि समाज द्वारा इसका सदस्य होने की भावना से इस प्रणाली के प्रचलन और अनुरक्षण को प्रभावी रूप से किया जा सके।

(ख) नहर स्तर पर नहर सलाहकार समिति के साथ तीन सोपान प्रणाली अपनाकर लघु स्तर पर स्थापनों में जल प्रबंध एवं सिंचाई शाखा और निर्गम स्तर पर अभी चारित्र दलों के जरिए सिंचाई प्रबंध में लगातार बेहतर निष्पादन हेतु किसानों की सहभागिता को प्रभावी बनाया जा सके । यदि आवश्यक हुई तो ऐसी एसोसिएशनों के गठन तथा अस्तित्व के लिए राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त प्रोत्साहन तथ विधिक सहायता दी जानी चाहिए । स्वैच्छिक गैर-सरकारी संगठनों (एन०जी०ओ०) भी लिया जा सकता है ।

(ग) योजना स्तर पर तथ तटबंधों के निर्माण और अनुरक्षण, जल निकास के सुधार आदि जैसे बाढ़ प्रबंध के संरचनात्मक घटकों को आयोजना, कार्यान्वयन और प्रचालन में लोगों की सहभागिता पर यथोचित ध्यान नहीं दिया गया है । बाढ़ मैदान जोनिंग तथ बाढ़ पुनर्नियमन जैसे गैर-संरचनात्मक उपायों की दिशा में भी ऐसा ही है । इस स्थिति में सुधार किए जाने की आवश्यकता है । शहरों में, अनुरक्षण कार्यों में लोगों की सहभागिता को बढ़ावा देने में एनजीओ तथ अन्य स्थानीय निकायों की सहायता प्राप्त की जानी चाहिए । भविष्य के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए कुछ प्रयोगिक परीक्षण शीघ्र शुरू किए जाने की आवश्यकता है ।

(घ) वर्तमान आयोजना तथ अभिकल्प संगठनों के भीतर प्रत्येक वृहद परियोजना के लिए पर्यावरणिक पुनरीक्षा कार्यालय स्थापित किए जाएं ताकि प्रभावित और संभावित क्षेत्र में लोगों के शामिल होने के साथ परियोजना के पर्यावरणिक प्रभाव के मूल्यांकन अध्ययन किए जा सकें । सरकार द्वारा परियोजना पर विचार करने/अनुमोदन करने हेतु ऐसे अध्ययन को एक पूर्वापेक्षा बनाया जाना चाहिए ।

(ङ) जल संसाधनों के क्षेत्र में राज्यों को सलाह देने और लोगों की सहभागिता से उनके द्वारा किए गए प्रयासों के प्रबोधन हेतु तथ इस क्षेत्र में शामिल एन०जी०ओ० के साथ सम्पर्क स्थापित करने हेतु भारत सरकार में एक कोर दल गठित किया जाना चाहिए । लोगों की सहभागिता के क्षेत्र में विभिन्न राज्यों/सिंचाई परियोजनाओं में चलाए प्रयासों के संबंध में स्थित निबंध (स्टेटस पेपर) प्रकाशित किए जाने चाहिए और सुधार की कार्रवाई के लिए उसका उपयोग किया जाना चाहिए । इस स्थिति निबन्ध को (स्टेटस पेपर) समय-समय पर अद्यतन किया जाना चाहिए ।

2. प्रत्येक राज्य में पूरी की गई चुनिंदा जल संसाधन परियोजनाओं का व्यापक समाजार्थिक तथ पर्यावरणिक मूल्यांकन शीघ्र किया जाना चाहिए ताकि लोगों की सराहना पाने तथ कमियों का पता लगाने, यदि कोई हो, तथा भविष्य में उपचारी उपाय करने के लिए लोगों के समक्ष इन परियोजनाओं के प्रभाव का वास्तविक चित्र प्रस्तुत किया जा सके ।

3. अधिकांश महानगरीय तथ नगरीय शहरों में पेय जल आपूर्ति की स्थिति पहले ही नाजुक है और अगले दशक में अत्यन्त नाजुक हो जाने की सम्भावना है । जल खपत वाले उद्योगों जिन्हें न केवल म्युनिसिपल सीमा के भीतर बल्कि बाहर की कुछ दूरी तक भी बसाने के सख्त मनाही की जानी चाहिए, की स्थापना के जरिए शहरों के और अधिक विकास को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है ।

4. चूंकि सिंचाई के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है और होती रहेगी, इसलिए सभी सिंचाई परियोजनाओं में बेहतर जल प्रबंध को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए । इस प्रयोजन के लिए सुधार के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए चालू वर्तमान परियोजनाओं के कार्यनिष्पादन की शीघ्र पुनरीक्षा की जानी चाहिए । इस पुनर्निदेश (फीडबैक) को शीघ्र कार्यान्वित किया जाना चाहिए । प्रत्येक परियोजना के लिए नियम/मैनअल बनाने और उनके क्रियान्वयन और अनुरक्षण के संहिताकरण हेतु फैस कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए ।

5. जल की बढ़ती तथा प्रतियोगी मांग को पूरा करने और इसके इष्टतम उपयोग के लिए, बेसिन/उपबेसिनों में भावी प्रयोग/आयोजना तथा जल के नियमित उपयोग हेतु नदी बेसिनों/उप-बेसिनों पर एकीकृत आयोजना अति आवश्यक है। इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त संस्थागत ढांचे अर्थात् नदी बेसिन प्राधिकरणों की शीघ्र स्थापना करने की आवश्यकता है।

6. जल संसाधन संरचनाओं के अनुप्रवाह पर नदी प्रवाहों के साथ जीवन-प्रणाली बनाए रखने और पेय, धुलाई तथा अन्य अंतर्वाह प्रयोगों के लिए जल उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न पहुंचों में न्यूनतम आधार प्रवाह का आरक्षण सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। भावी मांग को पूरा करने के लिए नदियों में मौसमी प्रवाह संरक्षित करने के उद्देश्य से छोटे तथा बड़े दोनों भण्डारण बांध आवश्यक हैं। ऐसे प्रवाहों की मात्रा के संबंध में प्रणालीबद्ध अध्ययन और अनुसंधान शुरू किए जाने चाहिए।

7. भविष्य की मांगों को पूरा करने के लिए जल का संरक्षण आवश्यक है। इस उद्देश्य के लिए विभिन्न उपयों जैसे वाष्पीकरण का नियंत्रण जल के पुनःचक्रण, पुनःउपयोग और जल उपभोग को कम करने के लिए कृषि एवं उद्योग में नई तकनीकों के अभिग्रहण को विकसित किया जाना चाहिए, जल विशेषकर निस्यंदित और उपचरित जल, के अपव्यय को रोकने के लिए प्रयोग कर्ताओं को रेडियो, टेलीविजन, समाचारपत्रों और पोस्टरों के माध्यम से व्यापक स्तर पर शिक्षा दी जानी चाहिए। पेयजल के अधिक/अपव्ययपूर्ण प्रयोग को रोकने के लिए टेलिस्कोपी जल दरें और जल का युक्तियुक्त प्रयोग को अपनाया जाना चाहिए।

8. बहुत बड़ी संख्या में टैंक, जो गाद और अन्य प्राकृतिक कारणों से अनुपयुक्त हो गए हैं, को जहां आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो पुनःस्थापन किए जाने की आवश्यकता है।

9. यह दोहराया गया है कि अधिक जल निकालने और इस मूल्यांकन प्राकृतिक संसाधन को सुरक्षित रखने के लिए सरकार भूजल कानून बनाए और उसे क्रियान्वित करे।

10. राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना में की गई परिकल्पना के अनुसार अन्तःबेसिन अन्तरणों के लिए आर्थिक विश्लेषणों, पर्यावरणीय प्रभावों सहित वैकल्पिक अध्ययन जारी रखे जाने चाहिए और उन्हें शीघ्र ही अन्तिम रूप दिया जाना चाहिए।

इन अध्ययनों के परिणामों के आधार पर, क्षेत्रीय सर्वेक्षण और अन्वेषणों के आधार पर व्यवहार्यता अध्ययन करने हेतु पारस्परिक रूप से प्राथमिकता निश्चित की जानी चाहिए, ताकि जब कभी आवश्यकता हो, भलीभांति तैयार की गई परियोजनाएं कार्यान्वयन हेतु उपलब्ध हो सकें।

11. व्यवहार्यता रिपोर्टों के अन्वेषण और उनको तैयार करने के लिए सूखा प्रवण क्षेत्रों को लाभान्वित करने वाले छोटे सम्पर्कों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

12. ऐसे क्षेत्रों, जिन्हें जल का अन्तरण किया जाना है को यह प्रमाणित करना चाहिए कि इस जल के प्रभावी उपयोग से सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति बेहतर रूप से की जा सकती है।

13. आम जनता को यह अनुभव कराया जाना चाहिए कि अन्तःबेसिन अन्तरण गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी बृहद नदी प्रणालियों में बाढ़ों के प्रभावों को कम नहीं करेंगे।

14. भूजल क्षमता समेत बेसिन सिंचाई विकास में पूर्ण उपलब्धि 2010 ईसवी सन् से पहले संभावित नहीं है। कम न होने वाली जनसंख्या वृद्धि की संभावनाओं का प्रबंध करने के लिए इस क्षमता को स्थिर करने और इसको कायम रखने का कार्य 2025 ईसवी सन् तक होगा। इस संदर्भ में विकास की प्राथमिकता निम्न प्रकार होगी :—

(क) बेसिन में विकास

(ख) सृजित क्षमता को स्थिर करना

(ग) राज्यों के अन्दर छोटे सम्पर्क

(घ) ऐसे अन्तरण जिनमें दो राज्य सम्मिलित हों

(ङ) ऐसे अन्तरण जिनमें दो से अधिक राज्य और अन्तर्राष्ट्रीय नदियां शामिल हों ।

15. आगे अन्वेषण प्रारम्भ करने से पहले प्रारम्भिक अध्ययनों पर आधारित राजनैतिक सहमति पर पहुंचने की आवश्यकता को पूर्वापेक्षित समझा गया ।

आदिवासी क्षेत्रों में फलोद्यान लगाया जाना

*199. श्री अजीत जोगी :
श्री राधाकिशन मालवीय :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फलोद्यान विकास योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के पहाड़ी तथा आदिवासी क्षेत्रों में किसानों को फलोद्यान लगाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कोई शेष प्रयास किए जाने का प्रस्ताव है ताकि इन क्षेत्रों के गरीब आदिवासी किसानों को लाभ पहुंचे सके, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है,

(ख) मध्य प्रदेश के ऐसे कौन-कौन से क्षेत्र हैं जहां वर्तमान में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं से आदिवासियों को लाभ पहुंचा है तथा इनसे कितने आदिवासियों को कितना लाभ पहुंचा है, और

(ग) इस संदर्भ में आगामी वर्षों के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने मध्य प्रदेश में बागवानी के विकास की क्षमता के बारे में एक अध्ययन किया है । इस अध्ययन के अनुसार, वर्ष 2025 तक बस्तर, रायगढ़ और सरगुजा नामक आदिवासी जिलों में फलोद्यान के अंतर्गत 2,85,000 हैक्टेयर का विकास करना संभव होगा ।

(ख) केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं के अंतर्गत बस्तर में अन्नानस तथा काजू की खेती के लिए सहायता दी गई है ।

राज्य सरकार आदिवासी जिलों में निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रही है :

(1) शहडोल, सरगुजा, बेतुल, बिलासपुर, होशंगाबाद, बस्तर, धाड़ और रायगढ़ नामक जिलों में फल रोपण राजसहायता योजना ।

(2) आदिवासी जिलों में कार्यान्वित की जा रही आदिवासी योज्य योजना के अंतर्गत सामुदायिक फलोद्यानों का विकास ।

(3) जवाहर रोजगार योजना—बस्तर, रायगढ़ तथा सरगुजा नामक आदिवासी जिलों में फल रोपण से संबंधित कार्यकलाप।

उपयुक्त योजनाओं से लगभग 5000 आदिवासियों को लाभ मिल रहा है ।

(ग) केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं के अन्तर्गत 5 वर्षों में 400 हैक्टेयर (अन्नानस द्वारा) कवर करने तथा प्रति वर्ष 100 हैक्टेयर (काजू द्वारा) कवर करने की सम्भावना है ।

1992–93 में जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत 2100 हैक्टेयर तथा फल रोपण राजसहायता योजना के अंतर्गत 650 हैक्टयर क्षेत्र कवर करने का लक्ष्य रखा गया है ।

Settng up of an aluminium plant in Orissa

*200. SHRI BASANT KUMAR DAS: Will the Minister of MINES be pleased to state:

(a) whether the Government of Orissa has sent a proposal for setting up an aluminium plant in the State;